



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

**राजस्व क्षेत्र
पर**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए



**हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-1**

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विंगावलोकन		vii
अध्याय-एक: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
बजट आकलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं	1.2	4
मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत	1.3	5
पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया तथा सकल बकाया से सम्बंधित राजस्व बकायों का विश्लेषण	1.4	6
बकाया निर्धारण	1.5	7
कर अपवंचन	1.6	7
प्रत्यर्पण मामलों का लम्बन	1.7	8
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया	1.8	8
सरकार के हितों की रक्षा करने हेतु उत्तरदायित्व प्रवर्तित करने में विभागाध्यक्षों की असफलता	1.8.1	8
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.8.2	10
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों से सम्बंधित विभागों की प्रतिक्रिया	1.8.3	10
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति	1.8.4	10
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में अनुपालना	1.8.5	11
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तन्त्र का विश्लेषण	1.9	11
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.9.1	11
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किए गए मामलों पर विभाग/ सरकार द्वारा दिये गए आश्वासन	1.9.2	12
स्वीकार किए गए मामलों में वसूली		12
लेखापरीक्षा योजना	1.10	13
लेखापरीक्षा परिणाम	1.11	13
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति		
इस प्रतिवेदन की आवृत्ति	1.12	14
अध्याय-दो: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/ वैट		
कर संचालन	2.1	15
लेखापरीक्षा परिणाम	2.2	15
निवेश कर क्रेडिट की अनुमति	2.3	16
सामग्री की लागत की गलत कटौती	2.4	20
कर की गलत दरें लागू करना	2.5	20
ब्याज तथा शास्ति का उद्ग्रहण न करना/ कम करना	2.6	21
कर की रियायती दर की गलत अनुमति	2.7	22
माल के प्रवेश करने पर कर का अनुद्ग्रहण	2.8	23
अवैध डुप्लिकेट तथा दोषपूर्ण 'सी' फार्म स्वीकार करने के कारण कर का अपवंचन	2.9	24
कर का उद्ग्रहण/ मांग न करना	2.10	24
बिक्री का गलत निर्धारण	2.11	25
घोषणा फार्मों 'एफ' का दुरुपयोग करने के कारण कर की गलत छूट	2.12	25

अध्याय-तीन: राज्य आबकारी		
कर संचालन	3.1	27
लेखापरीक्षा परिणाम	3.2	27
राज्य आबकारी शुल्क तथा लाइसेंस फीस की वसूली न करना/ कम करना	3.3	28
अध्याय-चार: स्टॉप शुल्क		
कर संचालन	4.1	36
लेखापरीक्षा परिणाम	4.2	36
पटवारियों द्वारा गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करना	4.3	37
सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण	4.4	37
भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण स्टॉप शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली	4.5	38
समाहर्ता/ जिला मूल्यांकन समिति द्वारा सम्पत्ति का मूल्यांकन न करना	4.6	39
पट्टा विलेख पर स्टॉप शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली	4.7	39
अध्याय-पांच: वाहन, माल व यात्री कर		
कर संचालन	5.1	41
लेखापरीक्षा परिणाम	5.2	41
यात्री व माल कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा	5.3	42
विशेष पथ कर/ शास्ति वसूल न करना (हिमाचल पथ परिवहन निगम)	5.4	59
निजी स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर की वसूली न करना/ अल्प-वसूली करना	5.5	59
करों की अवसूली	5.6	61
प्रयोक्ता प्रभारों का जमा न करवाना	5.7	62
अध्याय-छ: वन प्राप्तियां		
कर संचालन	6.1	64
लेखापरीक्षा परिणाम	6.2	64
वृक्षों का अवैध कटान	6.3	65
जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के कारण राजस्व का अवरोधन	6.4	64
विभागीय प्रभारों का जमा न करवाना	6.5	65
वन भूमि पर सड़कों के अवैध निर्माण के कारण राजस्व का अनुदग्रहण	6.6	67
राँयलटी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुदग्रहण/ अल्पोदग्रहण	6.7	68
रेजिन ब्लेजों का अनियमित विलोपन	6.8	69
अध्याय-सात: अन्य कर एवं गैर कर प्राप्तियां		
कर संचालन	7.1	70
लेखापरीक्षा परिणाम	7.2	70
विद्युत शुल्क को सरकारी खाते में जमा न करवाना	7.3	71
अनिवार्य भाड़ा तथा ब्याज की वसूली न करना/ अल्प वसूली करना	7.4	72
व्यपगत निक्षेपों का सरकारी राजस्व खाते में क्रेडिट न करना	7.5	73

परिशिष्ट

क्रमांक	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ
I	लेखापरीक्षा योजना	1.10	74
II	अमान्य, डुप्लीकेट और त्रुटिपूर्ण 'सी' फार्मों की स्वीकृति के कारण कर का अपवंचन	2.9	75
III	घोषणा फार्मों 'एफ' का दुरुपयोग करने के कारण कर की गलत छूट	2.12	76
IV	रेक्टीफाइड स्प्रिट/ एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और मेच्योर्ड मॉल्ट स्प्रिट का गैर-लेखाकरण	3.3.2.3	77
V	आसवनी/ बंधक माल गोदामों पर तैनात आबकारी स्थापना के वेतनों की वसूली न करना	3.3.6	78
VI	पटवारियों द्वारा गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करना	4.3	79
VII	संपत्तियों के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण	4.4	80
VIII	भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली	4.5	81
IX	अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु फर्मों को प्राधिकृत न करना/ विलम्ब से प्राधिकृत/ पंजीकरण करना	5.3.9.1 (ii)	82